FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं SDO मुकाम बायतू

पाना राम बेनीवाल बनाम पुना राम पन्नेरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 111, 128 RLRAct नं. 71/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/03/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुं. भागीरथ चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/04/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतू	
30/04/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त होने से मिशल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 08/06/2021 को पेश होवे	
08/06/2021	पत्रावली पेश हुई वकलाय फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 04/08/2021 को पेश होवे	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:06 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

16/02/2022

04/08/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इसलिए होकर आगामी दिनांक-24/11/21 को पेश हो।

24/11/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इसलिए होकर आगामी दिनांक-14/02/2022 को पेश हो।

14/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं [illegible] विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही [illegible] की जाती है। अतः वास्ते [illegible] आगामी दिनांक-16/02/2022 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित । विप्रार्थीगण बाबतु 4 तामिल अनुपस्थित । न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 Pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेत सेढा-मेढ आये हुए है। खेतो के मध्य जो पुरानी मेंड व कोण आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान नही हो पा रहा है। जिससे खेत के मेंडो को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के मेंडो का सही ज्ञान कराने हेतु नेखमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर ~~तह~~ तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 31 दिनांक:– 16/02/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पन्नाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 4 जाति जाट, निवासी धतरवालों का तला, पटवार मण्डल कोलू, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. पूनमाराम पुत्र रूपाराम वगैरा 48 जाति जाट, निवासी धतरवालों का तला, पटवार मण्डल कोलू, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 71 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – धतरवालों का तला, पटवार मण्डल – कोलु, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 223, 226, 237, 268 / 251 रकबा क्रमशः 0.0485, 5.8814, 0.6553, 6.2050 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:– 16/02/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 32-36
प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पन्नाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 4
4. विप्रार्थी श्री पूनमाराम पुत्र रूपाराम वगैरा 48
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:06 IST
Reason: SelfAttested